www.cbi.gov.in

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो

(सूचना अनुभाग)

5-बी, सी.जी.ओ. कॉम्प्लैक्स, लोधी रोड,

नई दिल्ली-110003

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक: 02.06.2017

सीबीआई ने 30,000 रू. की घूस स्वीकार करने पर ई.एस.आई.सी. चिकित्सालय के डाक्टर को गिरफ्तार किया

सीबीआई ने शिकायतकर्ता से 30,000 रू. की घूस की माँग व स्वीकार करने के दौरान ई.एस.आई.सी. चिकित्सालय बेलटोला, गुवाहटी (असम) के डाक्टर (पूर्ण कालिक संविदा आधारित औषधि विशेषज्ञ) को आज गिरफ्तार किया।

एक शिकायत के आधार पर उक्त डाक्टर के विरूद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7 के तहत मामला दर्ज किया। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि आरोपी ने ई.एस.आई.सी. की स्थानीय खरीद के तहत खरीदी जाने वाली औषधि का जाली नुस्खा (प्रिस्कृपशन) लिखने के लिए रिश्वत की माँग की। सीबीआई ने जाल बिछाया एवं आरोपी को शिकायतकर्ता से 30,000 रू. की घूस स्वीकार करने के दौरान रंगे हाथ पकड़ा। आरोपी के गुवाहाटी स्थित कार्यालय एवं आवासीय परिसरों में आज तलाशी की जा रही है।

गिरफ्तार आरोपी को गुवाहाटी की नमित अदालत में कल पेश किया जायेगा।

****